न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 170 / 2017 (उदयपुर डिक्री)

1. डूंगरलाल पिता श्री केरिंग रावत मीणा, निवासी झामरकोटडा, फला खण्डायाफला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोहन पिता श्री केरिंग रावत मीणा, निवासी झामरकोटडा, फला खण्डायाफला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. दिनेश पिता श्री केरिंग रावत मीणा, निवासी झामरकोटडा, फला खण्डायाफला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. घीसा पिता श्री देवा मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. रामा पिता श्री भगवाना मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. किशन पिता श्री भगवाना मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. शंकर पिता श्री भगवाना मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजू पिता श्री भगवाना मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती उदली पत्नी श्री भगवाना मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती मोहनी पुत्री श्री भगवाना मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. रामलाल पिता श्री बाबरू मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. चुन्नीलाल पिता श्री बाबरू मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. तुलसीराम पिता श्री बाबरू मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती डालकी पत्नी श्री बाबरू मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. भंवरू पिता श्री भैरा मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13. केशुलाल पिता श्री भैरा मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

14. मांगीलाल पिता श्री रूपा मीणा, जाति मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

15. श्रीमती मोहनी पुत्री श्री भगवाना मीणा, जाति मीणा, निवासी भेगडा, पंचायत भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

16. श्रीमती कालकी पुत्री श्री भगवाना मीणा पत्नी प्रकाश मीणा, निवासी भेगडा, पंचायत भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

17. श्रीमती इन्दिरा पुत्री श्री भगवाना मीणा पत्नी मोहन मीणा, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

18. श्रीमती गमेरी पुत्री श्री बाबरू मीणा पत्नी शंकर मीणा, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

19. श्रीमती नारायणी पुत्री श्री भगवाना मीणा पत्नी खेमराज मीणा, निवासी जसपुरा, पंचायत लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

20. श्रीमती शंकरी पुत्री श्री रूपा मीणा पत्नी माना मीणा, निवासी धामधर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

21. श्रीमती नाथी पुत्री श्री कालु मीणा पत्नी भैरा मीणा, निवासी धामधर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

22. श्रीमती कालकी पुत्री श्री भैरा मीणा पत्नी गोपाल मीणा, निवासी धामधर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

23. श्रीमती भागु पुत्री श्री भैरा मीणा पत्नी लोगर मीणा, निवासी धामधर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

24. श्रीमती श्यामु पुत्री श्री कालू मीणा पत्नी केरिंग मीणा, निवासी झालों का गुडा, पंचायत चांसदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

25. श्रीमती केसरी पुत्री श्री कालू मीणा पत्नी दोला मीणा, निवासी झालों का गुडा, पंचायत चांसदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

26. श्रीमती गमेरी उर्फ गणेशी पुत्री श्री भैरा मीणा पत्नी चेना मीणा, निवासी बुडल, पंचायत लालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

27. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

28. राजस्थान राज्य माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड जरिये कार्यकारी निदेशक, आर.एस.एम.एम., मुख्य कार्यालय, 4, मीरा मार्ग, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय

एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा

दिनांक 07.06.2017 प्र.सं. 192/15

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री अरूण जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री लक्ष्मीलाल जैन अभि.रे.सं.1, 9, 12, 14
3. श्री संजय सोनी अभिभाषक रेस्पो. सं. 28
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 18—06—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा, 88, 92—ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम झामरकोटडा में वादीगण के पिता केरिंग पिता भगा रावत मीणा की साबिक आराजी नंबर 1609 व 1610 किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा तथा आराजी नंबर 26 में 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जो उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी श्री कसना पिता रोड़ा रावत से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख 500/— रूपये में क्रय किया, जिसका पंजीयन दिनांक 10—02—1971 को किया गया। विक्रय करते समय भूमि के पड़ोस भी वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार वर्णित किये गये। उक्त भूमि के चारों ओर कच्चा कोट बना होकर वादीगण काबिज हैं। उक्त साबिक आराजी नंबर से हाल आराजी नंबर 2026 से 2028, 2031 से 2033 एवं 2036 से 2038 कुल किता 8 रकबा 0.8950 हैक्टर भूमि बनाया जाना चाहिए था, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान सहवन से वादीगण के साबिक रकबे व कब्जे को दुरस्त नहीं किया गया है। वादीगण अनुसूचित जनजाति के होकर रीति रिवाज अनुसार लड़कियों का कोई हक नहीं होता है, किन्तु आराजी नंबर 3031 से 3033 किता 3 रकबा 0.2400 प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम, आराजी नंबर 3038 रकबा 0.1900 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 11 से 13 के नाम, आराजी नंबर 3026 से 3028 किता 3 रकबा 0.2850 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 14 से 21 तथा आराजी नंबर 3036 रकबा 0.1800 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 22 से 26 के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गयी है। उक्त सभी प्रतिवादी विक्रेता किसना के पौत्र—प्रपौत्र, प्रपोत्रिया व वधुऐ हैं जो अपने ससुराल में निवास करती हैं एवं विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण नाम हटाया जाना आवश्यक है। अतएवं निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा राजस्थान स्टेट माईस एण्ड मिनिरल्स लिमिटेड झामरकोटडा रॉक फास्केट परियोजना हेतु अपाप्त कर ली गयी है तथा नोटिस भी अवाप्त अधिनियम की धारा 9 (1) एवं 10 के तहत जारी हो चुके हैं, जिससे उक्त प्रकरण की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं रहा है। वादी द्वारा जानबूझकर राजस्थान स्टेट माईस एण्ड मिनिरल्स लिमिटेड को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वाद मात्र इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 23 की उपस्थिति में दिनांक 07–06–2017 को पत्रावली लोक अदालत में रखकर भूमि अवाप्त हो जाने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी की जानकारी दिनांक 13–10–2017 को नकल लेने पर हुई। पूर्व में उसे नकल नहीं दी गयी। अन्दर जानकारी उसके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 28 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 स्वयं दिनांक 07–06–2017 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं, इसलिए दिनांक 13–10–2017 को जानकारी होने का कथन गलत है। अपीलान्ट ने जानकारी के गलत तथ्य अंकित किये हैं। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा यह पाया गया कि कैम्प में अपीलान्ट संख्या 1 डूंगरलाल की उपस्थिति स्वरूप उसके हस्ताक्षर हैं, अतएवं उसे निर्णय की जानकारी नहीं होने के तथ्य समायत योग्य नहीं है, तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा अपनी सम्पूर्ण अपील मीमों में भूमि के अवाप्त हो जाने तथा अवाप्ति/अवाप्ताधीन भूमियों के सन्दर्भ में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने अथवा नहीं होने बाबत् कोई प्रभावी तथ्य वर्णित नहीं किये हैं, जिससे अवाप्तशुदा भूमियों का राजस्व न्यायालय का घोषणा तथा निषेधाज्ञा का वाद जारी रखा जा सके। तद्नुसार यह सुस्पष्ट है कि जब कोई कृषि भूमि अवाप्त अथवा अवाप्ताधीन हो जाती है तो ऐसे प्रकरणों में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं रहता जैसाकि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 1995 सुप्रिम कोर्ट पेज 1955 में वर्णित किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा भी न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1993 पेज 592, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 619 एवं आर.आर. डी. 1986 पेज 676 प्रस्तुत की हैं, जिनके तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं मानकर वादीगण का वाद खारिज किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपील गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं है।

वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14–06–2018 को एक राजीनामा भी पेश किया गया, जिसमें सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त राजीनामा क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादीगण का वाद का क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया है अतएवं उक्त राजीनामे के आधार पर निर्णय किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। अतएवं राजीनामा इस न्यायालय से सुसंगत नहीं होकर इस न्यायालय द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है। राजीनामा शामिल पत्रावली रहे।

अतएवं अपील बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

डूंगरलाल पिता श्री केरिंग रावत मीणा नि0 झामरकोटडा फला खण्डायाफला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**घीसा पिता देवा मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**170/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....07**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**....माह.....**.06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अरूण जैन**.....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री लक्ष्मीलाल जैन/संजय सोनी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.18**.....माह.....**.06**.....**.2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।